

2013/04/3/2014

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-1926/69-1-13-14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2014

2836/cls
5/3/14

कार्यालय-ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना से शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) विगत 19.09.2013 को आरम्भ की गयी है। यह योजना शहरी गरीबों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किए जाने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन के मिशन डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर-13.8 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के संचालन हेतु स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट के अन्तर्गत गवर्निंग कौंसिल एवं प्रस्तर-13.9 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) का गठन निम्नवत किया जाता है:-

(1) गवर्निंग कौंसिल का गठन-

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	मुख्य मन्त्री	अध्यक्ष
2	मन्त्री नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	उपाध्यक्ष
3	ग्राम्य विकास मन्त्री	सदस्य
4	श्रम मन्त्री	सदस्य
5	उद्योग मन्त्री	सदस्य
6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री	सदस्य
7	तकनीकी शिक्षा मन्त्री	सदस्य
8	मुख्य सचिव	सदस्य
9	स्टेट लीड बैंक आफिसर	सदस्य
10	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
11-12	नगरीय निकायों के प्रतिनिधि- महापौर/अध्यक्ष(2)	सदस्य गण
13-15	लिवलीहुड एक्सपर्ट/सिविल सोसाइटी/उद्योग के प्रतिनिधि (3)	सदस्य गण
16	एन.यू.एल.एम. के प्रभारी/प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य-कन्वेनर
17	अध्यक्ष द्वारा को-आप्टेड अन्य दूसरे सदस्य	सदस्य गण

emp

JD/PD

04/3/14

1573/00/S

पर. नि. 30

N


संयुक्त मिनिस्टर
04/3/2014

(11) कार्यकारी समिति (एकजीक्यूटिव कमेटी)-

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव श्रम विभाग।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग।	सदस्य
8	प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग।	सदस्य
12-13	राज्य लीड बैंक अधिकारी और अन्य राष्ट्रीकृत बैंक के प्रमुख।	सदस्य गण
14	आर.बी.आई. के राज्य प्रतिनिधि	सदस्य
15	इन्डस्ट्री प्रतिनिधि	सदस्य
16-18	स्वयं सहायता समूह/फेडरेशन्स के प्रतिनिधि (3)	सदस्य गण
19	राज्य मिशन निदेशक, एन.आर.एल.एम.	सदस्य
20	निदेशक, तकनीकी शिक्षा उ०प्र०।	सदस्य
21	श्रमायुक्त, उ०प्र०	सदस्य
22	निदेशक, उद्योग, उ०प्र०।	सदस्य
24	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
25	राज्य मिशन निदेशक, एन.यू.एल.एम.	सदस्य कन्वेनर
26	अध्यक्ष द्वारा को-आप्टेड अन्य दूसरे सदस्य	सदस्य गण

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के प्रदेश में संचालन हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ को नोडल विभाग और निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ को मिशन निदेशक नामित किया जाता है। उपर्युक्त गठित गवर्निंग कौंसिल तथा

कार्यकारी समिति (एकजीक्यूटिव कमेटी) के सम्बन्ध में यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही मिशन निदेशक द्वारा सम्पन्न की जायेगी।



(जवेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

सं०-1926 (1)69-1-13-14(104)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०
3. निजी सचिव, मा० ग्राम्य विकास मंत्री, उ०प्र०।
4. निजी सचिव, मा० श्रम व रोजगार मंत्री, उ०प्र०।
5. निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा० उद्योग मंत्री, उ०प्र०।
7. निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ०प्र०।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
9. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
10. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
13. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
15. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
16. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
17. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
18. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
19. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
20. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- ✓ 21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
22. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।